



संख्या- 1/2535/77-3-14-52(एम)/2014

प्रेषक,

ओम प्रकाश पाठक,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पर्यटन भवन,

गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक: 07 जनवरी, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" के लिए यूपीडा हेतु प्राविधानित धनराशि में से मोबिलाइजेशन एडवांस की द्वितीय किस्त के मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-1463/यूपीडा/08/147-III, दिनांक 12.12.2014 "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" के लिये यूपीडा हेतु प्राविधानित धनराशि में से मोबिलाइजेशन एडवांस की द्वितीय किस्त के मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹187.707 करोड़ (एक अरब सत्तासी करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) निम्नलिखित निर्माणकर्ता कम्पनियों को मोबिलाइजेशन एडवांस की द्वितीय किस्त (बिड धनराशि 5 प्रतिशत) निम्नवत अनुमन्य होगी :-

पैकेज संख्या व नाम	चयनित निर्माण-कर्ता का नाम	बिड धनराशि	मोबिलाईजेशन एडवान्स की द्वितीय किश्त (बिड धनराशि का 5 प्रतिशत) (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
पैकेज संख्या-IV कन्नौज से उन्नाव	मे0एफकान इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि0	2124.14	106.207
पैकेज संख्या-V उन्नाव से लखनऊ	मे0 एल0एण्ड टी0 लि0	1630.00	81.50
योग:-		3754.14	187.707

- (2) धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा तथा आहरित धनराशि यूपीडा अथवा अन्य किसी के बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (3) धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) धनराशि का लेखा-जोखा यूपीडा द्वारा रखा जायेगा तथा मासिक व्यय विवरण संबंधित से प्राप्त कर वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹187.707 करोड़ (एक अरब सत्तासी करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य

राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे परियोजना-24 बृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-013/दस-2015, दिनांक 07 जनवरी, 2015 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ओम प्रकाश पाठक

विशेष सचिव।

संख्या-2535(1)/77-3-14-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1.महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
- 6.वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 ।
- 7.गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश पाठक

विशेष सचिव।